दैनिक भास्कर

पटना, रविवार, 19 अगस्त, 2018 | 3

बिल्डर का बैंक खाता रेरा ने सीज किया

पटना| रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बिल्डर का बैंक खाता सीज करने का आदेश दिया है। रेरा के अध्यक्ष अफजल अमानुल्लाह ने बताया कि लगातार कई नोटिस देने के बाद बिल्डर की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। रेरा ने बिल्डर को 13 फरवरी, 21 मई, दो जुलाई और 25 जुलाई को नोटिस दिया था। उन्होंने बताया कि रेरा ने बिल्डर के भारतीय स्टेट बैंक के खाते के संचालन पर रोक लगाते हुए जांच का आदेश दिया है। साथ ही इसके खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी गई है। रेरा के सदस्य राजीव भूषण सिन्हा ने बताया कि बिल्डर ने निबंधन के दौरान जो कागजात जमा किया है, उसमें कई प्रकार की गड़बड़ियां पाई गई है। यह पहला मामला है, जिसमें खाता सीज करने की कार्रवाई की गई है। साथ ही इसी की सूचना बिल्डर और बैंक को दे दी गई है। उन्होंने आशंका जताई कि बिल्डर ने खाता संख्या भी गलत दिया है।